भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 154

उत्तर देने की तारीख 2 मार्च, 2020

सोमवार, 12 फाल्गुन, 1941 (शक)

युवकों को कृषि संबंधित प्रशिक्षण

†*154. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना के दृष्टिगत इस क्षेत्र में युवकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए कृषि संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बागवानी, मधुमक्खी पालन और पशुपालन में रोजगार पाने के लिए युवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि क्षेत्र में कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन-से उपाय किए गए हैं/किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री

(डॉ. महेंद्रनाथ पाण्डेय)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"युवकों को कृषि संबंधित प्रशिक्षण" के बारे में श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा दिनांक 02.03.2020 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 154* के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि के विविध जॉब रोलों में कौशल विकास के लिए कार्यक्षम और प्रभावी प्रशिक्षण, आकलन और प्रमाणन प्रक्रिया सृजित करने की दृष्टि से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ 20 मार्च 2018 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। यह एमओयू आजीविका अवसरों के लिए कृषि में विभिन्न व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के अलावा कुशल और प्रमाणित कार्यबल के रोजगार और इस क्षेत्र में पहले से कार्यरत कार्यबल की पूर्व शिक्षण मान्यता को प्रोत्साहित करने के लिए भी है। मंत्रालय के अधीन कृषि कौशल परिषद ने कृषि के विभिन्न जॉब रालों के लिए 173 अर्हता पैक विकसित किए हैं। कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों (एसएएमईटीआई), कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित किए जाते हैं। कौशल प्रशिक्षण के प्रमुख क्षेत्रों में मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, सूक्ष्म-सिंचाई, कृषि उपकरणों का रख-रखाव और मरम्मत, बागवानी, जैविक उत्पादक, कृमि-खाद उत्पादन, पशु पालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि शामिल हैं।

मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान, अन्य गैर-पीएमकेवीवाई कार्यक्रमों जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राज्य कौशल मिशनों के माध्यम से बागवानी, मधुमक्खी पालन और पशु पालन आदि में कौशल प्रशिक्षण दे रहा है। भारतीय कृषि क्षेत्र कौशल परिषद (एएससीआई) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार बागवानी, मधुमक्खी पालन और पशु पालन में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:-

i. बागवानी	-	38,371
ii. मधुमक्खी पालन	-	4,044
iii. पशु पालन (डेयरी और मुर्गी पालन)	-	48,525

अल्पावधि प्रशिक्षणों (एसटीटी) के अलावा, सरकार पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल), जो किसानों और कृषि श्रमिकों को व्यावसायिक पहचान दिलाता है, का संचालन करती है। ब्रिज प्रशिक्षण के साथ-साथ आरपीएल किसानों के कौशल उन्नयन/पुन: कौशलीकरण के लिए बहुत बड़ा संबल है और उन्हें अन्य लाभ तथा ऋण सुलभता, बाजार तक पहुंच, हानियों में कमी, सलाह और बाजार की जानकारी, वित्तीय जानकारी प्राप्त करने के लिए एप्स के जरिए डिजिटल कौशल भी प्रदान करता है ताकि वे अपने उत्पाद की कीमत निकाल सकें और कृषि रसायनों का सुरक्षित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करके लाभान्वित हो सकें।

****